

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम:- 83 व समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार ₹0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राजीव आवास योजना(के.50/रा.50-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य-	800000	600000	600000	600000	200000
योग	800000	600000	600000	600000	200000

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय।	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि।	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जे.एन.एन.यू.आर. एम. के उपघटक बेसिक सर्विसेज फार अरबन पुअर(के.80/ रा.20-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य-	1	600001	600000	600000	600001
योग	1	600001	600000	600000	600001

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के कारण है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-195/दस-2015, दि 0 17.12.2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

संख्या-951/2015/2470(1)/69-1-2015-14(226)/15, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0 लखनऊ।
- (2) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- (3) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0 लखनऊ।
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
- (6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (7) गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।